



Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010

Contact No. 0744-2473003, Email: fo@rtu.ac.in


क्रमांक-एफ(4)/ग्रुप-02/स्थापना/2023/ 5232-78

दि 07.09.2023

कार्यालय-आदेश


विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ(4)/ ग्रुप-02/स्थापना/2023 /4979-5024 दिनांक 01.09.2023 की निरन्तरता में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 के अनुसरण में विश्वविद्यालय के एन.पी.एस. कार्मिक जिन्होंने ओ.पी.एस. का विकल्प दिया हुआ है, दिनांक 31.08.2023 तक जमा नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज/अर्जित मूल्य राशि NSDL की वेबसाईट्स से अपने एवं नियोक्ता के अंशदान का विवरण प्राप्त कर अर्जित मूल्य की 15 प्रतिशत राशि कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पक्ष में डी.डी/बनायी जाकर दिनांक 10.09.2023 तक जमा करा कर, जमा की प्रति विश्वविद्यालय के पी.एफ. अनुभाग/वित्त नियंत्रक कार्यालय में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप मय घोषणा पत्र रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उक्त दिनांक तक यदि कोई कार्मिक नियोक्ता अंशदान राशि जमा नहीं कराता हैं तो उसे एन.पी.एस. का सदस्य ही माना जायेगा।


(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त सचिव, वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/यूनिट इंचार्ज
4. डीन फेकल्टी अफेयर्स/सहायक कुलसचिव, स्थापना
5. निजी सचिव, कुलपति/निजी सहायक कुलसचिव, स्थापना
6. समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक/अशैक्षणिक अधिकारी/कार्मिकों को पालनार्थ।
7. पी.एफ. सेल के प्रभारी, सहायक लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी, पी.एफ. सेल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी
9. वेब मास्टर उक्त आदेश/संलग्न सूची को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड करे।


कुलसचिव



Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010

Contact No. 0744-2473003, Email: fo@rtu.ac.in

कमांक-एफ(4)/गुप-02/स्थापना/2023/ 5232-78

दि 07.09.2023

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश कमांक-एफ(4)/ गुप-02/स्थापना/2023 /4979-5024 दिनांक 01.09.2023 की निरन्तरता में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 के अनुसरण में विश्वविद्यालय के एन.पी.एस. कार्मिक जिन्होंने ओ.पी.एस. का विकल्प दिया हुआ है, दिनांक 31.08.2023 तक जमा नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज/अर्जित मूल्य राशि NSDL की वेबसाईट्स से अपने एवं नियोक्ता के अंशदान का विवरण प्राप्त कर अर्जित मूल्य की 15 प्रतिशत राशि कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पक्ष में डी.डी/बनाया जाकर दिनांक 10.09.2023 तक जमा करा कर, जमा की प्रति विश्वविद्यालय के पी.एफ. अनुभाग/वित्त नियंत्रक कार्यालय में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप मय घोषणा पत्र रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उक्त दिनांक तक यदि कोई कार्मिक नियोक्ता अंशदान राशि जमा नहीं कराता है तो उसे एन.पी.एस. का सदस्य ही माना जायेगा।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
आर.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त सचिव, वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/यूनिट इंचार्ज
4. डीन फेकल्टी अफेयर्स/सहायक कुलसचिव, स्थापना
5. निजी सचिव, कुलपति/निजी सहायक कुलसचिव, स्थापना
6. समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक/अशैक्षणिक अधिकारी/कार्मिकों को पालनार्थ।
7. पी.एफ. सेल के प्रभारी, सहायक लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी, पी.एफ. सेल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी
9. वेब मास्टर उक्त आदेश/संलग्न सूची को विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड करे।

कुलसचिव